



राजस्थान सरकार
निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);


पत्रांक: एफ(20)आकाशि/नि.सं./पॉलिसी/2020/279

दिनांक 26.8.2020

आदेश


निर्देशानुसार कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के कारण निजी संस्थाओं को दस्तावेजों की प्राप्ति व प्रेषण के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2020-21 के लिए नवीन महाविद्यालय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की पूर्व निर्धारित तिथियों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है-

क्र.सं.	विवरण	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पूर्व निर्धारित अन्तिम तिथि	नवीन अन्तिम तिथि	
			कमीपूर्ति हेतु	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु
1	नवीन महाविद्यालय	20 अगस्त 2020	10 सितम्बर 2020	21 सितम्बर 2020


(संदेश नायक, IAS)
निदेशक,
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
5. वेब प्रभारी को अपलोड करने हेतु।
6. समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे कमीपूर्ति दस्तावेज नोडल अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रकरण के अविलम्ब निस्तारण हेतु हार्ड कॉपी निदेशालय को प्रस्तुत करें।
7. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(नि.सं.)